

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 12851 / 2004 / जयपुर

श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री अमीलाल जाति जाट निवासी ग्राम सांगटेडा तहसील
कोटपूतली जिला जयपुर

....प्रार्थी / वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र स्व. श्री अमीलाल
2. धनपत पुत्र स्व. श्री अमीलाल
3. रूपेश पुत्र स्व. श्री अमीलाल
4. शीशराम पुत्र स्व. श्री प्रहलाद
5. वीर सिंह पुत्र स्व. श्री प्रहलाद
6. विनोद पुत्र स्व. श्री प्रहलाद
7. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद

जाति जाट निवासी ग्राम सांगटेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

....अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थिति—

श्री हेमन्त सौगानी, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनपुस्थित

निर्णय

दिनांक 13.6.2018

1. यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 27-11-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश दिनांक 2-4-2004 को निरस्त किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत/वादी ने भूमि खसरा नंबर 295 रकबा 0.06 हेक्टर गैर मुमकिन चाह के संबंध में स्थायी व्यादेश का वाद उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष पेश किया था। उसके साथ अस्थायी व्यादेश की दरखास्त भी पेश की थी, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया था कि उक्त गैर मुमकिन चाह अमीलाल के

हिस्से में आयी हुई है, जिसके निधन के बाद उसकी सम्पत्ति उसके वारिसान को प्राप्त हुई। उक्त कुंआ में अमीलाल ने बिजली लगा रखी थी, जिससे उसके लडके सिंचाई करते हैं। अन्य हिस्सेदारान का कुंए में विद्युत संबंध में कोई हिस्सा नहीं है। अब प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण गिरोह बनाकर वादी/प्रार्थी को उक्त चाह व बिजली से अपने खेतों में पानी देने से रोक टोक करते हैं। अतः उन्हें अस्थायी व्यादेश से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की थी, जिसे आदेश दिनांक 27-11-2004 के द्वारा स्वीकार करते हुए अस्थायी व्यादेश के आवेदन को खारिज कर दिया गया। अतः यह निगरानी पेश की गई है।

3. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये थे किन्तु बावजूद तामील वे मण्डल में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 2-4-2004 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत कनेक्शन अमीलाल के नाम से लिया गया था तथा रिलीज डीड के मुताबिक मृतक अमीलाल के कायम मुकामान यानि उसकी विधवा, जायन्दा पुत्रियों तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 के हक में अपने हक त्याग किये थे। जमाबंदी संवत् 2057-2060 में नामान्तरकरण संख्या 313 व 352 तस्दीक हुए थे, जिनमें भी हक त्याग का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारान के मध्य आराजी मुतनाजा का आपसी बंटवारा हो रखा है। इसके अलावा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि विद्युत बिल खाता संख्या 21030021 से विद्युत कनेक्शन प्रहलाद, चूना के नाम से जारी हुआ है, जिससे भी इस बात की ताईद होती है कि अप्रार्थी संख्या 4 से 7 अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करते हैं तथा वादी वादग्रस्त कुंए पर लगे विद्युत कनेक्शन से अपनी भूमि की सिंचाई उक्त विद्युत संबंध से करता है। इस

प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तमाल करते हुए प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष में तय होना मानते हुए प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को अस्थायी व्यादेश से प्रतिबंधित करने में तात्त्विक भूल नहीं की थी। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि जब तक विधिवत रूप से भूमि का विभाजन होना साबित नहीं होता है, तब तक अप्रार्थीगण को अस्थायी व्यादेश से प्रतिबंधित किया जाना उचित नहीं होगा। इस संबंध में इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि यदि प्रतिवादीगण को अस्थायी व्यादेश से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो वादी अपनी भूमि की सिंचाई करने से वंचित हो जायेगा। इसके अलावा इस निगरानी के विचारण के दौरान कोई भी अप्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया है। अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर भी आक्षेपित आदेश में कोई विवेचना नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह बिन्दु प्रार्थी/वादी के पक्ष में होना माना है। इन तमाम तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का आक्षेपित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से काबिले अपास्त है।

5. अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का आदेश दिनांक 27-11-2004 अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली का आदेश दिनांक 2-4-2004 बहाल रखा जाता है। इस आदेश की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचनार्थ भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य